आगरा विकास प्राधिकरण , आगरा

आ वि प्रा
आगरा विकास प्राधिकरण

कोड सं0 :

प्रेषक,
प्रभारीसम्पत्ति
आगरा विकास प्राधिकरण,
आगरा।

सेवा में,
....
....
....
....

पत्र संख्या : /डी/सम्पत्ति/2025—26

दिनांक : —05—2025

विषयः— ....योजना फेस/ब्लॉक ....के अन्तर्गत ....
भूखण्ड सं0—........................ के आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक पंजीकरण अवधि दिनांक ....से ....तक खोले गये पंजीकरण के अन्तर्गत प्राप्त आपके आवेदन फार्म संख्या .... पंजीकरण दिनॉक ....
..के सन्दर्भ में सूचित किया जाता है कि लॉटरी ड्रा दिनॉक .... एवं उपाध्यक्ष महोदय के आदेश दिनांक .... के द्वारा ....योजना ब्लॉक—........................में श्रेणी''सामान्य जाति '' में आवासीय प्रयोग हेतु .... भूखण्ड सं0—........................जिसका मानक क्षेत्रफल .... वर्ग मीटर है, किराया क्रय पद्धति में निर्धारित नियमों एवं शर्तो पर आपके नाम आवंटित कर दिया गया है। विवरण निम्नवत है :—

(1)	भूखण्ड का मूल्य	रु0	....
(2)	12% फी—होल्ड शुल्क	रु0	....
(क)	कुल धनराशि (1)+(2)	रु0	....
(ख)	आवेदन के समय जमा पंजीकरण धनराशि	रु0	....
(ग)	आवंटन धनराशि	रु0	....
(घ)	किश्तों में ली जाने वाली अवशेष धनराशि	रु0	....

(च) अवशेष धनराशि रु0--------------------------, 9.00% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज (3 माह विश्राम काल) सहित 15 वर्ष की 60 समान तिमाही किश्तों में जमा करनी होगी । प्रत्येक किश्त की धनराशि रु0 -------------------------- है।

(झ) कॉर्नर शुल्क 10 प्रतिशत ....साईट प्लान के अनुसार यदि देय है ।

अतः आप आवंटन धनराशि रु0 --------------------------फी—होल्ड शुल्क रू0 -------------------------- अन्य शुल्क रु0 --------------------------व सीमाकंन शुल्क रू0 ---------------------------कुल धनराशि रु0 --------------------------दिनांक -------------------------- तक प्राधिकरण स्थित यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में जमा करा दें। उक्त धनराशि विलम्ब से जमा करने की दशा में विलम्बित अवधि पर 11.00 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से विलम्ब ब्याज देय होगा।

1. विलम्ब ब्याज सहित धनराशि जमा कराने हेतु आवंटन पत्र जारी होने की तिथि से विलम्बतम अवधि 90 दिवस होगी। यदि इस अवधि में भी वाँछित धनराशि विलम्ब ब्याज सहित जमा नही करायी जाती है तब भूखण्ड का आवंटन बिना किसी अन्य सूचना के निरस्त करने की कार्यवाही कर दी जायेगी।
2. प्रत्येक तिमाही किश्त की धनराशि माह की 10 तारीख तक जमा करनी होगी । प्रथम किश्त दिनांक 10. .... 2025 को देय होगी। किश्त की धनराशि विलम्ब से जमा कराने की दशा में विलम्बित अवधि पर 11.00 प्रतिशत विलम्ब ब्याज देय होगी । किश्तें जमा करने हेतु अलग से कोई नोटिस नही दिया जायेगा।
3. पूर्ण भुगतान होने के उपरान्त आवंटित सम्पत्ति का फ्री–होल्ड विक्रय विलेख निष्पादित होने के उपरान्त सम्पत्ति का कब्जा हस्तगत कराया जायेगा।
4. भूखण्ड का उपरोक्त एरिया स्टैण्डर्ड है। विक्रय विलेख निष्पादन के समय प्राप्त साईट प्लान के अनुसार यदि क्षेत्रफल में कोई अन्तर आता है तो आवंटी को मान्य होगा तथा उपलब्ध स्थल एवं क्षेत्रफल के अनुसार कब्जा दिया जायेगा। क्षेत्रफल अधिक होने की दशा में आवंटी को अन्तर की धनराशि विभाग द्वारा मांग किये जाने पर निर्धारित अवधि में जमा करनी होगी।
5. रजिस्ट्री निष्पादन के पश्चात आवंटित भूखण्ड का कब्जा सूचना पत्र एक माह में कार्यालय में उपस्थित होकर प्राप्त करना होगा।
6. पंजीकरण एवं आवंटन नियमावली 2025–2026 व समय समय पर शासन एवं प्राधिकरण द्वारा निर्गत शासनादेशों/पारित संकल्पों को स्वीकार करने के लिये आवंटी बाध्य होगा।
7. यदि आप अवशेष धनराशि किसी ऋणदायी संस्था से ऋण लेकर एक मुश्त जमा करना चाहते हैं तो इसमें प्राधिकरण को कोई आपत्ति नही होगी परन्तु इस हेतु यदि आवंटित सम्पत्ति को ऋणदायी संस्था के पक्ष में बन्धक रखना वांछित हो तो प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।
8. आबंटन पत्र एवं लॉटरी ड्रॉ के पंजीकरण की समस्त शर्ते आबंटी को मान्य होगी।
9. आप आवंटन पत्र जारी होने के दिनांक से 60 दिवस के अन्दर आवंटित भूखण्ड के मद में अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि जमा कराते हैं तो 2 प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी।

भवदीय

प्रभारी सम्पत्ति